नम्बर
जो इस
में

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 38/2022 तारीख दायर :–24.06.2022 दिनांक निर्णय :–15.07.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर JCMS:-2022/35

बनाम

राजू पुत्र सेडूराम जाति मीना निवासी अलेई तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल राजू पुत्र सेडूराम जाति मीना निवासी अलेई तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के गैर मुमकिन पहाड़ आ0ख0न0 389 रकबा 3.91 हे0 के भाग 0.04 है0 पर सम्वत 2079 में मिटटी की मेड़ व कांटा बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल की ओर से राजू उपस्थित आया। गैरसायल की ओर से नोटिस जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब में अतिक्रमण नहीं करने, यदि हो तो सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा लेने का कथन किया है जो संतोषजनक जवाब नहीं है। गैरसालय का गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के अनुसार गैरसायल द्वारा मिटटी की मेड़ व कांटा बाड़ लगाकर गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमण किया है, जो काबिल बेदखली है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल राजू पुत्र सेडूराम जाति मीना निवासी अलेई तहसील राजगढ़ जिला अलवर को वाके ग्राम गोविन्दपुरा के आ0ख0न0 389 रकबा 3.91 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के भाग 0.04 है0 से बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। गैरसायल के विरूद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/– रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.07.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 02 पर क्र. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)